न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 49 / 2020

1 सुमन पुत्री मालीराम जाति जाट निवासी माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मालीराम पुत्र मानाराम।
2 संगीता उर्फ बबीता पुत्री मालीराम।
3 चन्द्री स्त्री मानाराम।
4 कमला देवी तथाकथित द्वितीय स्त्री मालीराम।
5 रामपति स्त्री मालीराम 1 से 5 समस्त जाति जाट निवासीगण माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
6 तहसीलदार फतेहपुर तहसील फतेहपुर।
7 उप पंजियक फतेहपुर।
8 भू–अभिलेख निरीक्षक फतेहपुर।
9 पटवारी हल्का नया बास तहसील फतेहपुर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 10 / 2020 बउनवानी सुमन बनाम मालीराम आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री रिडमल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.11.22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 10/2020 में पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.03.2020 को एक पक्षीय स्थगन जारी नही कर तलबी के नोटिस जारी किये। इससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है। पक्षकारो के हितो का निर्धारण विचारण न्यायालय के समक्ष बाद सुनवाई होना है। इससे पूर्व पक्षकारों में वादबाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। धारा 212 के आवेदन का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अत अपील स्वीकार कर स्थगन जारी रखते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को धारा 212 के अन्तिम निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत की गई है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय में

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत धारा 212 के आवेदन का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैतृक होने का कथन अपीलांट ने किया है। पक्षकारो के हितो का निर्धारण विचारण न्यायालय के समक्ष बाद सुनवाई होना है। इससे पूर्व पक्षकारों में वादबाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। धारा 212 के आवेदन का अन्तिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अत प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के आवेदन को आगामी 2 माह में अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। तब तक उभयपक्ष विवादित भूमि खसरा नम्बर 203,204,205, 206/2, 207/2,231/2 वाके ग्राम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर